

अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। व्यय के अनुमान 'भारित' और 'दत्तमत' मर्दों¹ के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय के भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

पंजाब बजट नियमावली, जैसा कि हरियाणा द्वारा अपनाया गया है, के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय को विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष के परामर्श पर तैयार किया जाता है और निर्धारित तिथियों को वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विभाग अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसको 'अनुदानों के लिए मांग' कहते हैं। चार्ट 3.1 में दिए अनुसार राज्य बजट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।


चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों के विवरण



¹ **भारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं।
दत्तमत व्यय: अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: 2020-21 के दौरान व्यय की तुलना में कुल बजट प्रावधान



स्रोत: बजट मैनुअल और विनियोजन लेखों में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

2016-21 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत तथा इसके आगे दत्तमत/भारित में विभाजन की संक्षिप्त स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: 2016-21 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2016-17	92,200.76	20,458.70	76,947.96	16,121.70	15,252.80	4,337.00
2017-18	1,02,879.77	22,110.63	84,418.03	18,544.66	18,461.74	3,565.97
2018-19	1,07,759.20	33,973.70	90,304.44	31,058.32	17,454.76	2,915.38
2019-20	1,19,003.62	37,446.09	98,167.61	31,688.66	20,836.01	5,757.43
2020-21	1,27,589.40	52,415.44	95,535.91	46,873.19	32,053.49	5,542.25

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोजन अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए भारित और दत्तमत विनियोजन अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोजन लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोजनों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की दोनों भारित और दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय को इंगित करते हैं। अतः, विनियोजन

लेखे, निधियों के उपयोग वित्त का प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ की सुविधा प्रदान करते हैं और इस प्रकार, वित्त लेखों के अनुपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किया गया व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है तथा यह कि संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के अनुसार भारित किए जाने हेतु अपेक्षित व्यय को ही इस प्रकार भारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियां

3.3.1 कानूनी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विनियोजन अधिनियम पारित किए बिना राज्य की संचित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। पंजाब बजट नियमावली के अनुच्छेद 14.1 में प्रावधान है कि राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम या पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के अतिरिक्त, निधि के प्रावधान के बिना नई योजना पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में बिना किसी प्रावधान के और इस आशय का कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए बिना चार अनुदानों के विभिन्न घटकों के अंतर्गत चार मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) (विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है) में ₹ 147.67 करोड़ का व्यय किया गया।

तालिका 3.2: प्रावधान किए बिना किए गए व्यय का विवरण

क्र. सं.	व्यय का प्रमुख शीर्ष/लघु/उप शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
अनुदान संख्या 8- भवन तथा सड़कें		
1.	3054 - सड़कें और पुल, 80 - सामान्य, 797 - आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अंतरण, 99- आपदा राहत कोष को/से अंतरण - इंटर अकाउंट ट्रांसफर	78.54
अनुदान संख्या 19- अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों (एस.सी. और बी.सी.) का कल्याण		
2.	2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण, 800 - अन्य व्यय, 85 - क्रूरता के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता	2.19
अनुदान संख्या 34-परिवहन		
3.	5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 60 - अन्य वैमानिक सेवाएं, 800 - अन्य व्यय, 97 - भवनों का निर्माण और मरम्मत	31.94
अनुदान संख्या 35-पर्यटन		
4.	3452 - पर्यटन, 80 - सामान्य, 190 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, 99 - हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	35.00
	कुल	147.67


स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, वर्ष के लिए विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर एक अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सकता है लेकिन वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 22 मामलों में प्राप्त कुल ₹ 7,099.99 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं पहुंचा। आठ मामलों में, ₹ 12,323.67 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 3.1** में वर्णित किया गया है। दूसरी ओर, एक मामले में ₹ 3.50 करोड़ (अनुदान संख्या 35 - पर्यटन) का अनुपूरक अनुदान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था (**चार्ट 3.3**)।

चार्ट 3.3: अनावश्यक, अत्यधिक और अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे

इस प्रकार से बड़ी संख्या में मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। सरकार बड़ी बचतों और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करे।

3.3.3 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक यूनिट, जहां बचतें पूर्वानुमानित हैं, से अन्य यूनिट जहां अतिरिक्त निधियों की जरूरत होती है, एक अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। पुनर्विनियोजन अत्यधिक अभ्यर्पणों या अपर्याप्त वृद्धि के कारण अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक 71 उप-शीर्षों में ₹ 2,587.99 करोड़ से अधिक के आधिक्य और 45 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 5,500.67 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में वर्णित हैं। 48 उप शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य/बचतें ₹ 10 करोड़ से

ज्यादा थी। 10² मामलों में, पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और अनुपूरक प्रावधानों से ज्यादा था और 17³ मामलों में, जहां मूल प्रावधान की संपूर्ण राशि पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित की गई थी, पुनर्विनियोजन के कारण अनुपलब्ध प्रावधान के विरुद्ध व्यय किया गया था। इसी तरह, 16⁴ मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल और पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था।

3.3.4 निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर, 72 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियां अभ्यर्पित की गईं। इन मामलों में, कुल प्रावधान ₹ 1,78,979.29 करोड़ था तथा वास्तविक व्यय ₹ 1,41,422.19 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 37,557.10 करोड़ की बचत हुई। इसमें से ₹ 35,380.43 करोड़ अभ्यर्पित किए गए (*परिशिष्ट 3.3*), ₹ 2,176.67 करोड़ अभी भी किए गए व्यय से अधिक थे, जो अपर्याप्त बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

आगे विश्लेषण ने प्रकट किया कि 17 मामलों में ₹ 13,725.15 करोड़ की बचतों के विरुद्ध ₹ 9,478.52 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित की गईं और ₹ 4,246.63 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किए गए थे जो पंजाब बजट मैनुअल (हरियाणा में भी लागू) के पैराग्राफ 13.2 के प्रावधानों के विरुद्ध था। 34 मामलों में ₹ 17,875.12 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे जहां बचत उससे भी कम ₹ 15,805.16 करोड़ थी। 21 मामलों में ₹ 8,026.79 करोड़ की सभी बचतें अभ्यर्पित की गईं। निधि के कम अभ्यर्पण या अधिक अभ्यर्पण के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किए गए।

3.3.5 बचत

अनुमानों की पूर्ण सटीकता हमेशा संभव नहीं हो सकती है; लेकिन जहां चूक या अशुद्धि पूर्वविचार की कमी, स्पष्ट या अवास्तविक अनुमान की उपेक्षा का परिणाम है, यह चिंता का विषय है। सभी आकलन अधिकारियों द्वारा बजट में वह सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिसका पूर्वाभास हो और केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना आवश्यक हो। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों द्वारा अनुमानों की अंतिम जांच करते समय इस पर विचार करना चाहिए।

² *परिशिष्ट 3.2* की क्रम संख्या 4, 8, 19, 26, 33, 34, 50, 79, 92 तथा 97

³ *परिशिष्ट 3.2* की क्रम संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 59, 60, 69, 70, 98, 99, 110, 111 तथा 113

⁴ *परिशिष्ट 3.2* की क्रम संख्या 20, 23, 27, 28, 35, 38, 47, 58, 78, 87, 103, 104, 105, 106, 112 तथा 116

अवास्तविक प्रस्तावों, संसाधन जुटाने की क्षमता का अत्यधिक विस्तार, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित बजटीय आबंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों के जारी करने को बढ़ावा देते हैं। कुछ शीर्षों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित भी करती है जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

(i) आबंटनों की तुलना में बचतें

कुल बचत ₹ 37,595.74 करोड़ थी। इनमें से, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए 44 मामलों में ₹ 36,450.08 करोड़ की बचत थी (परिशिष्ट 3.4)। इन 44 मामलों में, ₹ 1,74,911.24 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,38,461.16 करोड़ का वास्तविक व्यय तथा ₹ 36,450.08 करोड़ की बचत थी। जिन मामलों में पर्याप्त बचत हुई थी उन्हें तालिका 3.3 में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.3: ₹ 500 करोड़ से अधिक बचत वाले मामलों का विवरण


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या और नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक	बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	9-शिक्षा	17,270.83	शून्य	17,270.83	13,313.41	3,957.42
2	13-स्वास्थ्य	5,567.50	742.35	6,309.85	5,080.95	1,228.90
3	15-स्थानीय शासन	4,978.01	2,336.13	7,314.14	3,548.31	3,765.83
4	24-सिंचाई	2,654.68	शून्य	2,654.68	1,521.67	1,133.01
5	27-कृषि	3,612.63	430.22	4,042.85	2,348.08	1,694.77
6	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	5,973.60	921.70	6,895.30	4,484.00	2,411.30
7	36-गृह	5,356.76	90.00	5,446.76	4,644.54	802.22
8	40-ऊर्जा और विद्युत	6,710.29	997.02	7,707.31	5,810.98	1,896.33
राजस्व भारित						
9	6-वित्त	18,304.58	शून्य	18,304.58	17,114.67	1,189.91
पूंजीगत (दत्तमत)						
10	8-भवन एवं सड़कें	2,477.69	शून्य	2,477.69	1,582.60	895.09
11	9-शिक्षा	1,600.00	शून्य	1,600.00	283.78	1,316.22
12	13-स्वास्थ्य	966.00	319.00	1,285.00	768.29	516.71
13	14-शहरी विकास	1,450.00	शून्य	1,450.00	564.29	885.71
14	23-खाद्य एवं आपूर्ति	16,002.56	शून्य	16,002.56	13,152.68	2,849.88
15	24-सिंचाई	2,155.87	शून्य	2,155.87	1,327.45	828.42
16	38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	1,500.51	482.25	1,982.76	949.22	1,033.54
पूंजीगत (भारित)						
17	लोक ऋण	22,591.81	11,072.60	33,664.41	29,497.60	4,166.81

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों में बचत की संवीक्षा से पता चला कि 2020-21 के दौरान 47 योजनाओं (वेतन/स्थापनाओं के अतिरिक्त) में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी (परिशिष्ट 3.5)।

इस प्रकार की बड़ी बचतें दोषपूर्ण बजट के साथ-साथ अनुदान अथवा विनियोजन में निष्पादन में कमी का संकेत है।

बजट आबंटन के विरुद्ध बचत की प्रतिशतता के अनुसार अनुदानों/विनियोजनों को **चार्ट 3.4** में वर्गीकृत किया गया है।



(ii) निरंतर बचतें

इसके अतिरिक्त, अनुदानों और विनियोजन की संवीक्षा से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, राजस्व दत्तमत में 17 अनुदानों, पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत सात अनुदानों और एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें, जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या अधिक भी थीं, पाई गईं। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान बचत के साथ अनुदान/विनियोजन का विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: निरंतर बचतें दर्शाने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व (दत्तमत)						
1.	07-आयोजना एवं सांख्यिकी	283.17 (62)	10.76 (26)	22.00 (37)	18.24 (34)	10.02 (22)
2.	11-खेल एवं युवा कल्याण	105.84 (25)	211.20 (46)	114.86 (29)	114.93 (28)	179.97 (60)
3.	14-शहरी विकास	12.47 (13)	53.95 (51)	38.93 (36)	477.33 (82)	53.06 (43)
4.	15-स्थानीय शासन	879.77 (25)	1,462.93 (27)	2,168.63 (43)	2,263.66 (41)	3,765.83 (51)
5.	17-रोजगार	16.12 (23)	56.52 (24)	45.37 (13)	69.75 (15)	243.03 (37)
6.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	52.67 (19)	122.11 (29)	185.11 (37)	201.65 (31)	350.68 (43)
7.	19-अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	213.79 (27)	357.63 (47)	325.97 (45)	226.64 (44)	139.49 (27)
8.	21-महिला एवं बाल विकास	368.88 (33)	232.26 (22)	476.58 (34)	409.27 (29)	362.76 (24)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
9.	24-सिंचाई	512.12 (27)	519.63 (27)	214.32 (13)	265.50 (15)	1,133.01 (43)
10.	25-उद्योग	436.29 (62)	234.39 (64)	343.58 (61)	60.84 (19)	69.71 (24)
11.	27-कृषि	826.91 (43)	648.44 (34)	956.78 (35)	1,542.96 (50)	1,694.77 (42)
12.	28-पशुपालन तथा डेयरी विकास	110.83 (15)	88.83 (12)	107.55 (12)	183.11 (18)	291.09 (25)
13.	30-वन एवं वन्य प्राणी	97.95 (26)	142.21 (31)	143.96 (32)	178.39 (35)	66.77 (12)
14.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	366.90 (10)	1,193.68 (26)	1,261.75 (26)	1,341.36 (25)	2,411.30 (35)
15.	34-परिवहन	283.94 (13)	277.38 (12)	406.76 (16)	387.16 (16)	489.67 (22)
16.	37-निर्वाचन	11.24 (20)	38.15 (53)	30.63 (40)	171.11 (56)	29.76 (33)
17.	43-जेल	26.45 (12)	50.37 (20)	70.49 (25)	60.26 (22)	61.59 (20)
पूँजीगत (दत्तमत)						
18.	8-भवन एवं सड़कें	1,725.37 (46)	1,154.34 (31)	882.13 (24)	1,497.83 (34)	895.09 (36)
19.	13-स्वास्थ्य	326.20 (64)	415.16 (71)	422.80 (75)	371.78 (54)	516.71 (40)
20.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	16.99 (36)	14.30 (37)	53.33 (78)	32.13 (42)	58.99 (48)
21.	21-महिला एवं बाल विकास	37.37 (34)	110.87 (64)	77.01 (48)	127.84 (88)	114.85 (67)
22.	34-परिवहन	149.58 (57)	45.64 (17)	163.57 (47)	488.07 (88)	224.70 (53)
23.	35-पर्यटन	35.63 (49)	50.48 (75)	23.70 (51)	10.55 (27)	36.88 (57)
24.	38-जन स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	310.50 (25)	273.98 (19)	294.53 (17)	296.86 (20)	1,033.54 (52)
पूँजीगत (भारित)						
25.	लोक ऋण	4,401.67 (45)	3,606.12 (36)	2,081.88 (11)	4,481.64 (22)	4,166.81 (12)

* कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान बचत की संवीक्षा से पता चला कि राजस्व और पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत 56 योजनाओं ने लगातार बचत पाई गई जिनमें बजट प्रावधान ₹ पांच करोड़ या अधिक था और कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक की बचत थी। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान बचत वाली योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है।

iii) अप्रयुक्त प्रावधान

पंजाब बजट मैनुअल के अनुच्छेद 5.3, जो हरियाणा राज्य में भी लागू है, में प्रावधान है कि बजट अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिए और प्रत्येक मद के संबंध में शामिल किए जाने का प्रावधान वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान या खर्च किए जाने की उम्मीद पर आधारित होना चाहिए। विनियोजन लेखे की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 52 योजनाओं के लिए किए गए ₹ 5,731.77 करोड़ (₹ 10 करोड़ से अधिक) का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जो कि योजनाओं के कार्यान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिए गए जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में वर्णित है। इन 52 योजनाओं में से 16 योजनाएं निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.) की अवधारणा के अंतर्गत ₹ 2,529.73 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ शामिल हैं। निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय को योजना स्तर पर वर्गीकृत किया गया और प्रशासनिक विभागों को बेहतर निष्पादन (वित्तीय व्यय के संदर्भ में) के लिए प्रोत्साहित करने और जहां भी आवश्यक हो, पुनर्विनियोजन के माध्यम से संसाधनों की अतिरिक्त उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए अन्य योजनाओं के पुनर्विनियोजन के लिए एक बफर के रूप में प्रदान किया गया था।

3.3.6 अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, अनुच्छेद के प्रावधानों की अनुपालना में पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि से धन का निकास नहीं किया जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि अनुदानों/विनियोजनों पर आधिक्य राज्य विधायिका से नियमित करवाए जाएं। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों की चर्चा के पूर्ण होने के बाद अधिक व्यय को विनियमित किया जाता है।

3.3.6.1 अधिक व्यय

कुल बजट प्रावधान ₹ 29.01 करोड़ के विरुद्ध ₹ 50.94 करोड़ का व्यय किया गया था। इस प्रकार, अनुदान संख्या 35-पर्यटन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान ₹ 29.01 करोड़ के विरुद्ध ₹ 21.93 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ। पर्यटन से संबंधित मुख्य शीर्ष-3452 के अंतर्गत आधिक्य मुख्य रूप से हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा बजट प्रावधान के विरुद्ध किए गए ₹ 35 करोड़ के व्यय के कारण हुआ। इस प्रकार अनुदान संख्या 35-पर्यटन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 21.93 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जो कि राज्य विधायिका द्वारा किए गए प्राधिकार से अधिक था और इसे नियमित करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2018-19 से संबंधित तीन विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 41.54 करोड़ के अधिक संवितरण और वर्ष 2019-20 से संबंधित दो अनुदानों के अंतर्गत ₹ 153.39 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधायिका द्वारा अभी नियमित किया जाना है (अगस्त 2021)। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमताएं और कमजोर आंतरिक नियंत्रण के परिणामस्वरूप विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य उप-इष्टतम आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को निधियों से वंचित करती है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

2020-21 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 1,80,004.84 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 1,42,409.10 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप 2020-21 में ₹ 37,595.74 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि **तालिका 3.5** में वर्णित है।

तालिका 3.5: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति


(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	
दत्तमत	I राजस्व	87,610.96	7,501.61	95,112.57	73,367.01	(-)21,745.56
	II पूंजीगत	29,611.36	852.95	30,464.31	20,443.20	(-)10,021.11
	III ऋण एवं अग्रिम	1,212.52	शून्य	1,212.52	925.70	(-)286.82
कुल दत्तमत	1,18,434.84	8,354.56	1,26,789.40	94,735.91	(-)32,053.49	
भारित	IV राजस्व	18,551.03	शून्य	18,551.03	17,304.31	(-)1,246.72
	V पूंजीगत	200.00	शून्य	200.00	71.28	(-)128.72
	VI सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान	22,591.81	11,072.60	33,664.41	29,497.60	(-)4,166.81
कुल भारित	41,342.84	11,072.60	52,415.44	46,873.19	(-)5,542.25	
आकस्मिक निधि से विनियोजन	-	800.00	800.00	800.00	-	
कुल योग	1,59,777.68	20,227.16	1,80,004.84	1,42,409.10	(-)37,595.74	

स्रोत: विनियोजन लेखे

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूतियां राजस्व शीर्ष (₹ 724.72 करोड़) और पूंजीगत शीर्ष (₹ 14,644.77 करोड़) की परिगणना नहीं की गई।

अनुपूरक प्रावधान द्वारा ₹ 20,227.16 करोड़ के मूल प्रावधान का 13 प्रतिशत संघटित किया गया जो कि गत वर्ष में 6 प्रतिशत था।



राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार ने ₹ 1,19,751.97⁵ करोड़ का मूल बजट तैयार किया और इसे संशोधित कर ₹ 1,03,156.85 करोड़ किया गया, जिसके विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 96,742 करोड़ था। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय की प्रवृत्तियां **तालिका 3.6** में दी गई हैं।

तालिका 3.6: 2016-21 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
मूल बजट	88,781.96	92,384.38	1,02,732.54	1,11,908.84	1,19,751.97
संशोधित अनुमान	84,132.15	93,685.52	1,02,779.09	1,08,203.33	1,03,156.85
वास्तविक व्यय	79,781.44	88,190.15	93,217.78	1,03,823.39	96,742.00
बचत	4,350.71	5,495.37	9,561.31	4,379.94	6,414.85

स्रोत: बजट एक दृष्टि में एवं संबंधित वर्षों के लिए वित्त लेखे

3.4.2 बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

बजट में कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनके विरुद्ध वास्तविक व्यय **तालिका 3.7** में दिया गया है:

⁵ राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत वसूलियों को सकल बजट के आंकड़ों से बाहर रखा गया है।

तालिका 3.7: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट और वास्तविक व्यय में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम और वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)
1	फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए योजना (2401-113-82)	453.50	7.49	(-)446.01
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (2401-109-80)	340.00	70.97	(-)269.03
3	ग्रामीण सड़कें- हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण, सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और सुधार (5054-03-337-88-99)	150.00	128.04	(-)21.96
4	विधायक आदर्श ग्राम योजना (वि.आ.ग्रा.यो.) (2515-106-99)	180.20	124.59	(-)55.61
5	बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु हरियाणा ग्राम उदय योजना का नाम बदलकर दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना कर दिया गया (4515-101-99)	100.00	97.06	(-)2.94
6	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (2515-101-89)	925.00	1,021.80	96.80
7	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता के लिए योजना - सामान्य योजना (2515-102-93-99)	245.00	80.77	(-)164.23
8	राज्य में सौर जल पम्पिंग सिस्टम की स्थापना (2810-101-98)	200.00	199.81	(-)0.19
9	आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (2210-80-199-99)	277.75	22.22	(-)255.53
10	निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता (2235-02-102-99)	251.00	278.02	27.02
11	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (2235-60-102-98)	4,100.00	3,697.52	(-)402.48
12	अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (2235-02-101-95)	100.00	167.99	67.99
13	गांव दुधौला जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (2230-03-001-91)	160.00	105.00	(-)55.00
	कुल	7,482.45	6,001.28	(-)1,481.17

स्रोत: वित्त लेखे और विनियोजन लेखे

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, 2020-21 के दौरान इन योजनाओं पर कुल बजट प्रावधान ₹ 7,482.45 करोड़ के विरुद्ध ₹ 6,001.28 करोड़ (80.20 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। 13 में से चार योजनाओं में व्यय बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था। उद्धृत कारणों में भारत सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से निधियां प्राप्त न होना, परियोजना ले-आउट का अंतिमकरण न होना, आर्थिक उपाय आदि शामिल थे। इससे लाभार्थियों को वांछित लाभ से वंचित होना पड़ा।

3.4.3 व्यय की अधिकता

व्यय की अधिकता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन समझा जाना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत **परिशिष्ट 3.8** में सूचीबद्ध 23 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 32 शीर्षों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक, जो कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था, का व्यय किया गया।

ऐसे मामलों में, वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कुल ₹ 15,611.14 करोड़ के व्यय में से ₹ 5,843.46 करोड़ (37 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2021 में किया गया। इस प्रकार अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र एक महीने में 37 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 60 प्रतिशत व्यय कर दिया गया। अंतिम तिमाही के दौरान विशेषतः मार्च माह में व्यय की अधिकता, वित्तीय नियमों का अनुपालन न करना दर्शाता है।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.4.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा

दो चयनित अनुदानों अर्थात् 21-महिला एवं बाल विकास तथा 27-कृषि के संबंध में बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई थी जिसमें मूल अनुदानों, अनुपूरक मांगों और वास्तविक व्यय में विविधताओं के परिमाण का विश्लेषण किया गया।

3.4.4.1 अनुदान संख्या 21-महिला एवं बाल विकास

अनुदान संख्या 21-महिला एवं बाल विकास में तीन मुख्य शीर्ष, अर्थात् 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2236-पोषण और 4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, शामिल हैं जिनमें वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया था।

(i) बजट एवं व्यय

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए अनुदान के कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत की समग्र स्थिति **तालिका 3.8** में दी गई है।

तालिका 3.8: महिला एवं बाल विकास अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान						व्यय		अप्रयुक्त प्रावधान और उसकी प्रतिशतता	
	राजस्व		कुल	पूंजीगत		कुल	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	मूल	अनुपूरक		मूल	अनुपूरक					
2018-19	1,217.97	197.20	1,415.17	159.76	शून्य	159.76	938.59	82.75	(-476.58 (34)	(-77.01 (48)
2019-20	1,352.88	70.50	1,423.38	144.10	1.67	145.77	1,014.11	17.93	(-409.27 (29)	(-127.84 (88)
2020-21	1,415.34	100.00	1,515.34	172.02	शून्य	172.02	1,152.58	57.17	(-362.76 (24)	(-114.85 (67)

स्रोत: विनियोजन लेखे

* नगण्य राशि

वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान ₹ 1,515.34 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,152.58 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 362.76 करोड़ की बचत हुई, जो कि बजट प्रावधानों के विरुद्ध 24 प्रतिशत थी।

इसी प्रकार, पूंजीगत शीर्ष में ₹ 172.02 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 57.17 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 114.85 करोड़ की बचत हुई जो कि बजटीय प्रावधानों का 67 प्रतिशत था।

इससे पता चलता है कि वित्तीय नियोजन एवं प्रबंधन में विभागीय कार्यवाही कमजोर थी।

(ii) बचत

राजस्व शीर्ष के अंतर्गत, 43 उप-शीर्षों में ₹ 1,431.76 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,058.95 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 372.81 करोड़ की बचत हुई। ये बचतें कुल प्रावधान के 12 एवं 100 प्रतिशत के मध्य थीं। पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत, नौ उप-शीर्षों में बजट प्रावधान ₹ 172.01 करोड़ के विरुद्ध ₹ 56.47 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 115.54 करोड़ की बचत हुई। **परिशिष्ट 3.9** में दिए गए विवरणानुसार कुल प्रावधान के 15 तथा 100 प्रतिशत के मध्य बचतें थीं।

यह यथार्थवादी वित्तीय विनियोजन की कमी और कमजोर वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है। विभाग ने पंजाब बजट मैनुअल और वित्त विभाग में निर्धारित बजटीय नियंत्रणों की अनदेखी की और राज्य के बजट पर समग्र वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकास उद्देश्यों के लिए निधियों की कमी हुई।

(iii) सतत् बचतें

38 उप-शीर्षों में वर्ष 2018-21 के दौरान **परिशिष्ट 3.10** में दिए गए विवरण के अनुसार कुल प्रावधान के 12 से 100 प्रतिशत के बीच सतत् बचत दर्ज की गई जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थी।

(iv) बचत अभ्यर्पित नहीं की गई

पंजाब बजट नियमावली, जो कि हरियाणा में लागू है, के पैरा 13.2 के अनुसार खर्च करने वाले विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुदानों/विनियोजनों या उनके हिस्से को, जब भी बचत की उम्मीद हो, वित्त विभाग को सौंप दें।

₹ 233.17 करोड़ की कुल बचत में से 11 योजनाओं में ₹ 108.28 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई थी लेकिन ₹ 124.89 करोड़ की राशि (कुल बचत का 54 प्रतिशत) राजस्व शीर्ष में 2020-21 के दौरान अभ्यर्पित नहीं की गई थी। इसके अलावा, युवतियों/महिलाओं तथा निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र योजना के अंतर्गत ₹ दो करोड़ के बजट प्रावधान को ₹ 3.64 करोड़ के पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 5.64 करोड़ तक बढ़ाया गया था। तथापि, ₹ 0.63 करोड़ का व्यय ₹ दो करोड़ के मूल प्रावधान से कम था। वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत योजना में ₹ 5.01 करोड़ की बचत अभ्यर्पित नहीं की गई थी। जिन योजनाओं में बचतों को अभ्यर्पित नहीं किया गया उनका विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचतों को अभ्यर्पित नहीं किया गया था

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	कुल बजट	व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	अनभ्यर्पित राशि
I	राजस्व					
1	पी-02-21-2235-02-102-74-51-एन-वी-किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला	17.60	1.89	15.71	14.77	0.94
2	पी-01-21-2235-02-102-92-51-एन-वी-एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यू.सी.डी.)	75,175.22	63,655.16	11,520.06	शून्य	11,520.06
3	पी-01-21-2235-02-103-76-51-एन-वी-घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (कक्षों की स्थापना)	150.00	101.28	48.72	48.69	0.03
4	पी-01-21-2235-02-103-79-51-एन-वी-लैंगिक चेतना	4,017.00	1,297.42	2,719.58	2,642.10	77.48
5	पी-02-21-2235-02-789-90-51-एन-वी-अनुसूचित जाति की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को वित्तीय सहायता	9,500.00	3,844.59	5,655.41	5,371.50	283.91
6	पी-01-21-2235-02-789-94-51-एन-वी-हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	125.00	100.00	25.00	शून्य	25.00
7	पी-01-21-2235-02-800-86-51-आर-वी-हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान	90.00	72.00	18.00	शून्य	18.00
8	पी-02-21-2236-02-101-89-51-एन-वी-किशोरियों के लिए योजना	89.90	12.38	77.52	66.48	11.04
9	पी-02-21-2236-02-101-95-51-एन-वी-पूरक पोषाहार कार्यक्रम	20,000.00	16,799.38	3,200.62	2,651.03	549.59
10	पी-01-21-2236-02-101-97-51-आर-वी-पंजिरी प्लांट घरोंडा	184.85	161.08	23.77	21.75	2.02
11	पी-01-21-2236-02-101-99-51-आर-वी-मुख्यालय के लिए स्टाफ	26.20	13.50	12.70	12.22	0.48
	कुल राजस्व	1,09,375.77	86,058.68	23,317.09	10,828.54	12,488.55
II	पूंजीगत					
1	पी-01-21-4235-02-103-99-51-सी-वी-युवतियों/महिलाओं तथा परित्यक्त महिलाओं एवं विधवाओं के लिए गृह-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र	564.23	62.77	501.46	शून्य	501.46
	कुल पूंजीगत	564.23	62.77	501.46	शून्य	501.46

यह यथार्थवादी वित्तीय विनियोजन की कमी और कमजोर वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है। विभाग ने बजटीय नियंत्रणों का पालन नहीं किया। वित्त विभाग राज्य के बजट पर समग्र वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग करने में विफल रहा।

(v) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के बाद अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अपेक्षित अधिक व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष-2236 के अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम में ₹ 200 करोड़ (मूल: ₹ 100 करोड़ और अनुपूरक: ₹ 100 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 167.99 करोड़ का व्यय किया गया, इसके परिणामस्वरूप ₹ 32.01 करोड़ (16 प्रतिशत) की बचत हुई।

इस प्रकार, उपर्युक्त उप-शीर्ष के अंतर्गत निधियों की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना ₹ 100 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय

निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार राज्य के विकास गति को बनाए रखने के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखते हुए उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता को पहचानती है। इसलिए, यह योजना राज्य सरकार द्वारा संसाधनों के कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय योजना के कार्यान्वयन से राजकोषीय दूरदर्शिता को प्रोत्साहित करके राज्य के वित्तीय अनुशासन में सुधार होने की संभावना थी। इसका उद्देश्य विभागों को उत्पादक उपयोग के लिए संसाधनों को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसके अतिरिक्त, इसे निधियों की पार्किंग पर अंकुश लगाने और वर्ष के अंत में निकासी में तेजी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। यह विभागों की अवशेषक और खर्च करने की क्षमता का आकलन करने के बाद बजट को फिर से आवंटित करने के लिए वित्त विभाग की सुविधा के लिए भी था।

अनुदान की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि "निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय", अर्थात् पी.एल.ओ. के अंतर्गत, योजनाओं के लिए किया गया बजट प्रावधान ₹ 10 करोड़ अप्रयुक्त रहा और निधियों की आवश्यकता न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया था जैसा कि **तालिका 3.10** में वर्णित है।

तालिका 3.10: उन योजनाओं का विवरण जिनमें बजट प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	बजट प्रावधान (₹ करोड़ में)	कारण
1	पी-01-21-2235-02-001-92-51-आर-वी- महिला एवं बाल विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-आर.ई.वी.)	5.00	योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण
2	पी-01-21-4235-02-101-90-51-आर-वी- महिला एवं बाल विकास के लिए निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय (पी.एल.ओ.) (डब्ल्यू.सी.डी.-पी.एल.ओ.-सी.ए.पी.)	5.00	नई योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण
	कुल	10.00	

(vii) टोकन प्रावधान

महिलाओं को एक छत के नीचे तत्काल आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सेवाओं की सुविधा के लिए आश्रय और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करने की दिशा में टोकन प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है। यह देखा गया था कि वर्ष 2020-21 के दौरान चार योजनाओं को लागू नहीं किया जा सका जैसा कि **तालिका 3.11** में वर्णित है।

तालिका 3.11: योजनाएं जो 2020-21 के दौरान लागू नहीं की जा सकीं**(₹ लाख में)**

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार (लेखा शीर्ष)	बजट	कारण	अभ्युक्तियां
1	ऑनर किलिंग से निपटने के लिए संरक्षण गृह (सुरक्षा गृह) (2235-02-103-65)	0.01	टोकन प्रावधान	टोकन मनी तब प्रदान की जाती है, जब किसी नई योजना पर प्रस्तावित
2	पी-02-21-2235-02-103-67-51-एन-वी-स्वाधार गृह योजना	1.00	टोकन प्रावधान	व्यय को पूरा करने के लिए धन पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है, टोकन राशि के अनुदान की मांग सदन के मत के लिए प्रस्तुत की जा सकती है और,
3	पी-02-21-4235-02-103-95-51-एन-वी- सम्मान हेतु हत्या का प्रयास करने वाले का मुकाबला करने के लिए संरक्षण गृह (सुरक्षा गृह) का निर्माण	0.01	टोकन मनी	यदि सदन मांग पर सहमति देता है, निधियों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
4	पी-03-21-4235-02-103-96-51-एन-वी- महिला योजना के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर स्थापित करने के लिए भवन का निर्माण	1.00	टोकन मनी	
	कुल	2.02		

आगे, छः जिलों अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और रोहतक में सुरक्षा गृह के प्रशासनिक व्ययों के लिए प्रत्येक को टोकन प्रावधान के रूप में ₹ 1,000 का प्रावधान किया गया था। 'स्वाधार गृह योजना', 'सुरक्षा गृह' आदि का उद्देश्य महिलाओं को एक छत के नीचे आश्रय और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करना था ताकि चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए तत्काल आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान की जा सके।

(viii) पुनर्विनियोजित बजट प्रावधान से अधिक व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 (बी) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि खर्च की गई है, तो राज्यपाल उस व्यय की अनुमानित राशि या इस तरह के अतिरिक्त व्यय के कारण, जैसा भी मामला हो, को दर्शाने वाले विवरण राज्य विधानमंडल के सदनों के समक्ष रखवाएगा।

अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 100 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹ 65.06 करोड़ का व्यय किया गया था (**तालिका 3.12**)। तथापि, विभाग ने पुनर्विनियोजन आदेशों के द्वारा ₹ 45.34 करोड़ का अभ्यर्पण कर दिया। इसलिए, ₹ 10.41 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

तालिका 3.12: अभ्यर्पण के बाद मूल प्रावधान से अधिक व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम और लेखा शीर्ष	मूल बजट	अभ्यर्पित राशि	कुल	व्यय	आधिक्य
	1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4-5)
1	पी-02-21-2236-02-101-88-51-एन-वी-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)	50.00	(-)33.10	16.90	22.51	5.61
2	रिमांड/निरीक्षण गृह (4235-02-102-97-99)	50.00	(-)12.24	37.76	42.55	4.79
कुल (राजस्व)		100.00	(-)45.34	54.66	65.06	10.40

3.4.4.2 अनुदान संख्या 27 - कृषि

अनुदान संख्या 27 - कृषि में छः मुख्य शीर्ष अर्थात् 2401-फसल पालन, 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 2702-लघु सिंचाई, 4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं जिसमें वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया।

(i) बजट और व्यय

पिछले तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) के लिए परिचालन शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत की समग्र स्थिति तालिका 3.13 में दी गई है।

तालिका 3.13: अनुदान संख्या 27 - कृषि के अंतर्गत बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खंड	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य/बचत
2018-19	राजस्व	2,667.85	65.00	2,732.85	1,776.07	956.78
	पूंजीगत	--	--	--	--	--
2019-20	राजस्व	2,721.80	335.00	3,056.80	1,513.84	1,542.96
	पूंजीगत	--	--	--	--	--
2020-21	राजस्व	3,612.63	430.22	4,042.85	2,348.08	1,694.77
	पूंजीगत	10.00	शून्य	10.00	1.77	8.23

स्रोत: विनियोजन लेखे

* नगण्य राशि

(ii) बचत

29 उप-शीर्षों में बजट प्रावधान ₹ 2,061.37 करोड़ के विरुद्ध ₹ 560.04 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,501.33 करोड़ की बचत हुई। परिशिष्ट 3.11 में दिए गए विवरणानुसार कुल प्रावधान के 29 तथा 100 प्रतिशत के मध्य बचतें थीं।

(iii) सतत् बचतें

वर्ष 2018-21 के दौरान 18 उप-शीर्षों में परिशिष्ट 3.12 में दिए गए विवरण के अनुसार बजट प्रावधान के 25 तथा 100 प्रतिशत के बीच सतत् बचत थी जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अप्रभावी योजना और अवास्तविक आकलन की ओर संकेत कर रही थी।

(iv) बजट का उपयोग न करना

किसी भी योजना में बजट की मांग तब की जानी चाहिए जब यह निश्चित हो कि योजना में खर्च किया जाएगा। अनुदान की संवीक्षा से पता चला कि सात योजनाओं में ₹ 311.06 करोड़ का बजट प्रावधान था लेकिन संबंधित योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 3.14 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.14: उन योजनाओं की सूची जिनमें बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत प्रतिशतता
1	हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण की योजना पी-01-27-2401-51-109-76-51	200.00	शून्य	200.00	100
2	बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना पी-03-27-2401-51-105-94-51	0.10	शून्य	0.10	100
3	अनुसूचित जाति के किसानों के लिए बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना पी-03-27-2401-51-789-86-51	0.10	शून्य	0.10	100
4	राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एन.एम.ए.ई.टी.) के अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री (एस.एम.एस.पी.) पर प्रस्तुतीकरण पी -03-27-2401-51-190-98-51-एन-वी	0.85	शून्य	0.85	100
5	हरियाणा विश्वविद्यालय में भावांतर भरपाई योजना की योजना 2401-51-190-99-51	10.00	शून्य	10.00	100
6	जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परियोजना की योजना का नाम बदलकर जैविक खेती और शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धतियां कर दिया गया 2401-51-119-71-51	100.00	शून्य	100.00	100
7	प्लान स्कीम मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एम.बी.बी.वाई.) 2401-51-119-63-51	0.01	शून्य	0.01	100
	कुल	311.06	शून्य	311.06	100

(v) अधिक व्यय

उच्च सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति/सहमति के बिना कोई अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न योजनाओं में अधिक व्यय निधियों की आवश्यकता के आकलन में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि दो योजनाओं में योजनाओं के संशोधित बजट अनुमानों से अधिक व्यय किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विस्तृत शीर्ष योजनावार	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
1	4401- कृषि कार्यालय भवन का निर्माण पी-01-08-4401-51-113-97-51	1,000.00	150.00	177.28	27.28
2	हरियाणा राज्य में एकीकृत बागवानी विकास योजना (पी-01-27-2401-51-119-65-51)	3,512.50	6,000.00	6,308.76	308.76
	कुल	4,512.50	6,150.00	6,486.04	336.04

(vi) निष्पादन से जुड़ा हुआ परिव्यय

वित्त विभाग निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय (पी.एल.ओ.) खाते का संचालन करता है। खाते का उद्देश्य अन्य विभिन्न योजनाओं में आवश्यकता के अनुसार निधियां हस्तांतरित करना है। सभी लेनदेन वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार किए गए हैं। अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय खाते में ₹ 10 करोड़ की राशि की निधियां आवंटित की गई थी और निष्पादन से जुड़े हुए परिव्यय खाते में ₹ 56.58 करोड़ (कुल ₹ 66.58 करोड़ की राशि) की राशि और प्रदान की गई थी। बजट प्रावधान को शून्य छोड़कर पुनर्विनियोजन के माध्यम से संपूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया था। तथापि, योजना पर ₹ 3.26 लाख का व्यय किया गया जो खराब वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

3.5 निष्कर्ष

राज्य सरकार की बजट प्रणाली सही नहीं थी, क्योंकि 2020-21 के दौरान बजट का कुल उपयोग कुल अनुदान और विनियोग का 79 प्रतिशत था। बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि कुल 47 अनुदानों में से 34 अनुदानों में बचत 20 प्रतिशत से अधिक थी। पिछले पांच वर्षों में 24 अनुदानों और एक विनियोजन में दस प्रतिशत से अधिक की सतत बचत हुई।

अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं थे क्योंकि 30 मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अनुचित थे या अत्यधिक थे। वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता थी। 2020-21 के दौरान 22 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 31 शीर्षों में कुल व्यय का 37 प्रतिशत मार्च 2021 के माह में खर्च किया गया था।

अनुदान संख्या 35 - पर्यटन में ₹ 21.93 करोड़ का व्यय राज्य विधानमंडल द्वारा दिए गए प्राधिकार से अधिक था जो बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को खराब करता है। 2018-19 से संबंधित ₹ 41.54 करोड़ और 2019-20 से संबंधित ₹ 153.39 करोड़ के अधिक संवितरण के साथ अतिरिक्त व्यय को राज्य विधानमंडल से नियमित करवाना अपेक्षित है।

ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और बच्चों के पोषण इत्यादि से संबंधित 13 प्रमुख नीतिगत घोषणाओं में ₹ 7,482.45 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 6,001.28 करोड़ (80 प्रतिशत) का व्यय हुआ था जिसने लाभार्थियों को इच्छित लाभों से वंचित किया।

3.6 सिफारिशें

- सरकार को बड़ी बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए वास्तविक बजट अनुमान तैयार करने पर विचार करना चाहिए।
- सरकार को अनुपूरक प्रावधानों को तैयार करने में बजट नियमावली के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अवास्तविक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए, अनुमान में पारदर्शिता पर विचार करना चाहिए।
- सरकार को वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए वित्तीय निगरानी को सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए।
- सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों और विकास योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए रणनीति तैयार करने पर विचार कर सकती है।